>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज भाषा का मामला चल रहा है। शैलेन्द्र जी ने भोजपुरी का मामला उठाया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा विषय भी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर है। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मंत्रालय में 30-35 प्रस्ताव पैन्डिंग थे, तो एक सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। उस समिति ने जितने पैन्डिंग प्रपोज़ल थे, उनका अध्ययन करके यह बताया कि सिर्फ राजस्थानी और भोजपुरी दो ऐसी भाषाएँ हैं जो मान्यता की पात्रता रखती हैं। उसके बाद 2006 में इसी सदन में गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसी सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी की मान्यता के लिए प्रस्ताव और बिल ले आएँगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने राइट टु एजुकेशन बिल पास किया और उसकी धारा 29(2एफ) में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा हम किस भाषा में दें? आपने राइट टु एजुकेशन पास किया और जो मान्यता प्राप्त पात्रता रखने वाली भाषाएँ हैं, उनको संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया।

हम किसी छोटे-मोटे प्रदेश से नहीं आते हैं। राजस्थान भौगोलिक रूप से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।

दस करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। आप पूछोगे कि दस करोड़ कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि छह करोड़ लोग तो राजस्थान में हैं। एक करोड़ बंगाल और सैवन सिस्टर्स में हैं और एक करोड़ हम शेष भारत में हैं तथा एक करोड़ विदेश में हैं, जहां अमरीका ने मान्यता दी है। एक करोड़ हम पाकिस्तान में भी हैं, जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। मैं यह विषय इसलिए लाया हूं कि 24 जून, 2011 को अमरीका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के प्रैजीडेंशियल एपायेंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को अमरीका मान्यता दे रहा है और भारत में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि नहीं पिंडोरा बाक्स खुल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने सीताकांत महापात्र समिति क्यों बनायी? महापात्र जी ने कहा कि दो भाषाएं भोजपुरी और राजस्थानी ये मान्यता के लिए पात्रता रखती हैं। आपको मान्यता देने में दिक्कत क्यों आ रही है? यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं, जिससे 10 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी सकें और राजस्थानी भाषा अपना सम्मान पा सके, जिसके लिए वह हकदार है।

डॉ. राजन सुशान्त : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।